

उत्तराखण्ड

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 162 सन 2019

अनवान :-

1. राजेश कुमार पुत्र कृष्ण जाति जाट भाम्भू निवासी रामगढ तहसील नोहर।

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. नौरगी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. सुशीला 4 प्रमीला पुत्रीया कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 20.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 15/13 की कुल 6.8310हैक् भूमि वादी के दादा बीरबल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 15/13 की कुल 6.8310हैक् भूमि आई विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3,4 जो वादी के पिता/ बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3,4 जो वादी की पिता/ बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है

5/2/19

इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,3 ,4 जो वादी की पिता/बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या ,3 ,4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही भौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 15/13 की कुल 6.8310हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी अकेला 3.036हैक् व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.771हैक् प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 2.024हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक

को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते